"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 524] रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 नवम्बर 2017—— अग्रहायण 8, शक 1939

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-29/2017/32. —— यत:, राज्य सरकार ने इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1481-1473- बत्तीस-88, दिनांक 9 मार्च, 1988 द्वारा, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का सं. 14) की धारा 19 की उप-धारा (1) के अंतर्गत संपूर्ण राज्य को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में घोषित किया है;

और यत:, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के परामर्श उपरांत, राज्य सरकार का यह मत है कि पटाखों को जलाने से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है तथा इसका प्रभाव, शीत ऋतु के दौरान विशेषकर शहरी क्षेत्रों, जैसे रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा में और अधिक होता है;

अतएव, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का सं. 14) की धारा 19 की उप-धारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में, प्रति वर्ष 01 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में, पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 1-29/2017/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-11-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 29th November 2017

NOTIFICATION

No. F 1-29/2017/32.— Whereas, State Government vide this department's Notification No. 1481-1473-XXXII-88, dated 9th March, 1988, declared the whole State as Pollution Control Area under sub-section (1) of Section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981) for the purposes of the said Act;

And whereas, the State Government, after consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board, is of the opinion that the burning of fire crackers increases air pollution and its effects are more drastic during winter season specially in urban areas like Raipur, Bilaspur, Bhilai, Durg, Raigarh & Korba;

Now Therefore, in exercise of power conferred under sub-section (5) of Section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981), the State Government, hereby, prohibits burning of fire crackers in the Municipal Areas of Raipur, Bilaspur, Bhilai, Durg, Raigarh & Korba from 1st December to 31st January of every year.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.